विभिन्न बोर्डों एवं समितियों का गठन

1. कार्मिक सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य (पी एवं ए), सदस्य (वित्त), संबंधित विभाग के सदस्य एवं संबंधित विभागाध्यक्ष शामिल होंगे जो सदस्य सचिव होंगे।
2. कार्मिक सलाहकार समिति में सदस्य (पी एवं ए), कार्यपालक निदेशक (पी एवं ए) एवं कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा), संबंधित निदेशालय/ विभागाध्यक्ष शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
3. चिकित्सा समिति में कार्यपालक निदेशक (पी एवं ए) एवं कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं संबंधित चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।
4. वाणिज्यिक सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष, सभी पूर्णकालिक सदस्य और कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य) शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
5. विधि सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य (पी एवं ए), सदस्य (वित्त), संबंधित विभाग के सदस्य एवं मुख्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
6. कार्य सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य (पी), सदस्य (प्रचालन), सदस्य (वित्त) एवं कार्यपालक निदेशक (इंजीनिरिंग) शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
7. कार्य सलाहकार समिति में सदस्य (पी) एवं कार्यपालक निदेशक (इंजीनिरिंग), कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा), महाप्रबंधक (इंजीनिरिंग) शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
8. क्षेत्रीय सलाहकार समिति (कार्य) में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य, सी.ए.टी.सी./विमानपत्तन निदेशक (आई.ए.डी.), संबंधित विभागाध्यक्ष जिनका काम लिया जाना है, वित्त विंग के विभागाध्यक्ष एवं इंजीनिरिंग विंग के विभागाध्यक्ष शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
9. सलाहकार बोर्ड (खरीद) में अध्यक्ष, सदस्य (पी) शामिल होंगे, सदस्य (प्रचालन), सदस्य (वित्त) एवं संबंधित निदेशालय/विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
10. सलाहकार समिति (खरीद) में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य, सी.ए.टी.सी./ विमानपत्तन निदेशक (आई.ए.डी.) एवं वित्त विंग के विभागाध्यक्ष और संबंधित निदेशालय के विभागाध्यक्ष सदस्य सचिव होंगे।
11. क्षेत्रीय सलाहकार समिति (खरीद) में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य,सी.ए.टी.सी./विमानपत्तन निदेशक (आई.ए.डी.), वित्त विंग के विभागाध्यक्ष एवं संबंधित निदेशालय/ विभाग के विभागाध्यक्ष शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
12. क्षेत्रीय वाणिज्यिक सलाहकार समिति में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/प्रधानाचार्य, सी.ए.टी.सी./विमानपत्तन निदेशक (आई.ए.डी.), वित्त विंग के विभागाध्यक्ष एवं वाणिज्य निदेशालय/विभाग के विभागाध्यक्ष शामिल होंगे, जो सदस्य सचिव होंगे।
13. निगमित मुख्यालय में कार्य सलाहकार उप समिति - कार्यपालक निदेशक (इंजीनिरिंग), महाप्रबंधक (वित्त), संबंधित निदेशालय के महाप्रबंधक (एयरोड्रम/संचार) एवं संबंधित महाप्रबंधक (इंजीनिरिंग), जो सदस्य सचिव होंगे।
14. निगमित मुख्यालय में संदिनि खरीद समिति - कार्यपालक निदेशक (सं.दि.नि.-पी), महाप्रबंधक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (सं.दि.नि.-पी) जो सदस्य सचिव होंगे।